Title: Discussion on the National Rural Employment Guarantee Bill, 2004. (Bill introduced).

16.14 hrs.

NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE BILL* 2004

MR. SPEAKER: Now we come to Item No. 23.

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मज़दूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

MR. SPEAKER: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the enhancement of livelihood security of the poor households in rural areas of the country by providing at least one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work and for matters connected therewith or incidental thereto."

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please take your seats. There is a system, there is a procedure which has to be followed.

Now, Prof. Rasa Singh Rawat.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि सदन इस विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति प्रदान न दे और मैं अपने इस प्रस्ताव को संचालित करना चाहता हूं।

महोदय, इसके पीछे कारण यह है कि - 'खोदा पहाड़ और निकली चुहिया।' इससे बहुत आशाएं लगा रखी थीं, लेकिन वैसा कुछ नहीं निकला। â€¦ (व्यवधान)

*Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 21.12.2004.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, he must refer to the rules and the points that he make. What is this? ...(*Interruptions*)

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं कारण बताना चाहता हूं। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Prof. Rasa Singh Rawat, you have to indicate the reasons why you are opposing the Bill.

PROF. RASA SINGH RAWAT : Sir, I am telling the reasons why I am opposing this Bill.

MR. SPEAKER: You cannot go into the merits of the Bill.

...(*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, he is opposing the Bill. Let him say on what ground he is opposing the Bill. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Bansal, he is opposing the introduction of the Bill.

Prof. Rasa Singh Rawat, you formulate your points.

...(*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, only legislative competence is the ground available to him. ...(*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दो दिन से मांग कर रहे थे कि इस प्रकार का बिल लैजिस्लेशन के लिए लाया जाए। अब जब इस प्रकार का बिल सदन में कानून बनने के लिए आया है, तो उन्हें स्वागत करना चाहिए। â€¦ (व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. सरकार के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति हुई है और उसमें रोजगार के बारे

में भी लिखा है, लेकिन मंत्री जी द्वारा पुरःस्थापित किए जाने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2004 केवल गांवों के लिए ही है। इसमें शहरों की आबादी छोड़ दी गई है। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रासा सिंह रावत जी, आप सीनियर मैम्बर हैं। आप जानते हैं कि किन कांस्टीट्यूशनल इश्यूज के ऊपर इंट्रोडक्शन की स्टेज पर विरोध किया जा सकता है। आप कृपया उनके बारे में बताइए।

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूं। यह विधेयक समग्र नहीं है, पूरा नहीं है, इसमें अधूरापन है। इसमें समाज के कुछ हिस्सों को ही सम्मिलित किया गया है और जो योजनाएं गांवों में चल रही हैं, केवल उन्हीं को शामिल किया गया है। इसमें सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार गारंटी योजना बनाई गई है। इसलिए मैं इसके पुरःस्थापन का विरोध करता हूं।

MR. SPEAKER: Thank you very much for your co-operation.

Now, Shri Ramji Lal Suman.

...(*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I am on a point of order. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Prof. Rasa Singh Rawat has finished it. Now, I have called Shri Ramji Lal Suman to speak. Shri Bansal, you reserve your point of order.

Shri Ramji Lal Suman, you know the reasons on which you can oppose it.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सर, मैं सिर्फ एक-दो बातों पर सफाई चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगर सफाई चाहते हैं, तो ठीक है, बोलिए।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा प्रयास है, तब भी आप अपोज कर रहे हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : सर, मैं अपोज नहीं कर रहा हूं।

MR. SPEAKER: We solemnly make the rules and we solemnly break them.

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं। निश्चित रूप से यह अच्छा प्रयास है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम था, उसमें जो वायदा किया गया था, यह विधेयक उसी दिशा में उठाया गया, एक कदम है। उस साझा कार्यक्रम के मुताबिक ग्रामीण और शहरी अंचल, दोनों में ही रोजगार देने की बात थी।

महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि देश में 19.36 करोड़ परिवार हैं जिनमें से 15 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो ग्रामीण अंचल में हैं। फिर इस योजना को केवल 150 जिलों में चलाने की बात कही गई है।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैरिट्स पर बोलिए।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि इस योजना को लागू किया जाएगा, तो आगे आने वाले कितने वर्षों में यह योजना पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। यह इसमें स्पट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सिंचाई, बंजरभूमि विकास, खाद्य नियंत्रण और गांवों को शहरों से जोड़ना इत्यादि जो कार्यक्रम हैं, वे सब अस्थाई कार्यक्रम हैं। कोई स्थायी व्यवस्था इसके माध्यम से नहीं की जा रही है। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय भी बोलते हैं और अध्यक्ष की सुनते भी नहीं हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट में समाप्त करूंगा।

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: That is not being recorded.

(Interruptions) *

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, कई प्रदेश ऐसे हैं जहां न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please do not misuse the opportunity.

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जिन प्रदेशों में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You know, as a Minister you dealt with this matter.

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2004â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लीव मांग रहे हैं। आप जानते हैं कि लीव मांगने पर रूल के मुताबिक कोई सदस्य इंट्रोडक्शन स्टेज में - on matters of constitutional ground - ऑपोज़ कर सकता है। हम कौन्सटीट्यूशन को लम्बा करते हैं, यह हम जानते हैं। लेकिन आप ज्यादा लम्बा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. सत्यनारायण जटिया : इस विधेयक के अध्याय 2 में अनुच्छेद 3 और 4 के बारे में जो प्रावधान किये गये हैं, उससे इसमें गारंटी नहीं दिखाई देती। जहां तक कौन्सटीट्यूशन का मामला है, कौन्सटीट्यूशन के प्रीएम्बल में कहा गया है - 'हम भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

*Not Recorded.

विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता' - सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के साथ-साथ कहा गया है - प्रतिठा और अवसर की समता। इसमें अवसर की समता भी नहीं है और न उस काम की प्रतिठा है क्योंकि हम काम सौ दिन का देने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि सारे काम में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की भागीदारी रहने वाली है। अध्याय 2 के अनुच्छेद 4 में कहा गया है - केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, किसी स्कीम के अधीन किसी गृहस्थी के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए उपधारा (1) के अधीन गारंटीकृत अवधि के परे किसी अवधि के लिए, जो समीचीन हो, कार्य सुनिश्चित करने के लिए उपबंध कर सकेगी। इसमें से यह नहीं निकल रहा है कि मोटे तौर पर वह आदमी कितने दिनों तक वहां काम करेगा। इसके साथ इसमें बीपीएल की बात कही गई है। पावर्टी लाइन के बारे में जो कहा गया हैâ€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संविधान के बारे में बोल रहे थे लेकिन अब उससे ज्यादा हो रहा है। आप बोलिए कि यह हमारे मौलिक अधिकारों के प्रबंध के खिलाफ है।

...(व्यवधान)

डॉ. सत्यनारायण जटिया : मैंने जैसे बताया, सामाजिक समता, प्रतिठा और अवसर की समता - इसमें वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है - परियोजनाओं के मजदूरी घटक को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया वहन किया जाएगा, जबकि सामग्री घटकों का (जिसके अंतर्गत कुशल और अकुशल कर्मकारों की मजदूरी भी है) पिच्चहत्तर प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।â€¦ (व्यवधान)

यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप छोड़िए। उनकी बात रिकार्ड नहीं हो रही है, आपकी बात रिकार्ड हो रही है।

...(व्यवधान)

डॉ. सत्यनारायण जटिया : जब आप बोलते हैं तब हम बीच में नहीं बोलते। हम आपका सम्मान करते हैं।â€¦ (व्यवधान) मैं किसी आधार पर कह रहा हूं।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका बहुत आभारी हूं कि एक आप ही ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने कौन्सटीट्यूशन की बात कही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

डॉ. सत्यनारायण जटिया : मोटे तौर पर यह पूरा नहीं है और इसके कारण लोगों को न रोजगार की गारंटी है न वारंटी है। इसलिए रोजगार की गारंटी देने की दृष्टि से पूर्णरूप से क्योंकि रघुवंश बाबू जानते हैं कि गामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए वह जो विधेयक लाए हैं, यदि उसको पूरा नहीं बनाएंगे तो नीचे जाते-जाते वह पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसे ठीक से लाएं।

MR. SPEAKER: Thank you very much.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I have given the notice.

MR. SPEAKER: I am sorry it has not come in time. The notice is not according to the rules.

SHRI KHARABELA SWAIN : I will only speak a minute.

MR. SPEAKER: It is not according to the rules. It is beyond time. I would not allow.

SHRI KHARABELA SWAIN : I have given the notice. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have given chance to all the hon. Members who have given proper notices.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I am sorry.

Mr. Varkala Radhakrishnan, your notice is not in proper form.

SHRI KHARABELA SWAIN : My notice was in proper form.

MR. SPEAKER: But it is not in proper time.

SHRI KHARABELA SWAIN : You have allowed Members in certain cases. I will take just one minute.

MR. SPEAKER: I have disallowed Mr. Varkala Radhakrishnan. I have allowed those hon. Members who have given notice in time according to the rules. Maybe, you have extended the rules a little. I am sorry.

SHRI KHARABELA SWAIN : You have also allowed Shri Sushil Kumar Modi.

MR. SPEAKER: I have not allowed Shri Sushil Kumar Modi. I have not allowed Mr. Pradhan because the notice is not in time.

SHRI KHARABELA SWAIN : I will just speak for two minutes.

MR. SPEAKER: You may speak, but it will not be recorded. I am sorry.

SHRI KHARABELA SWAIN : Please allow me.

MR. SPEAKER: This is the problem. You do not follow the rules. You are a Chairman of the Committee. You temporarily sit here and decide.

SHRI KHARABELA SWAIN : You give me one minute. I will complete in two or three sentences. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: All right. You complete it in two or three sentences, and do not take a long time.

SHRI KHARABELA SWAIN : Thank you, Sir.

MR. SPEAKER: But this is not to be treated as a precedent.

SHRI KHARABELA SWAIN : No, Sir. We do not treat it as a precedent.

MR. SPEAKER: Shall I give you a copy of the Constitution!

...(*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, whenever a Bill is to be introduced, the Ministry has to give seven days' prior notice.

MR. SPEAKER: This is not a constitutional matter.

SHRI KHARABELA SWAIN : It has not been given.

MR. SPEAKER: I have waived that condition.

SHRI KHARABELA SWAIN : Secondly, at least two days' notice is to be given by way of circulation before it is introduced. It should have been sent to us two days ago.

MR. SPEAKER: No more.

SHRI KHARABELA SWAIN : It has been given to us only today morning. It is politically motivated. The introduction of this Bill is being done keeping in mind the elections in Bihar.

MR. SPEAKER: Not to be recorded.

*(Interruptions)**

*Not Recorded.

MR. SPEAKER: You said, you would speak for only three sentences but you are going on. Now, nothing is to be recorded except the hon. Minister's speech.

(Interruptions) *

MR. SPEAKER: Do you mean to say that I shall have to get hold of him and see that he is punished?

...(*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक गरीबोन्मुखी, ग्रामीणोन्मुखी है। एन्सीएमपी को पूरा करने के लिए देश भर के गरीबों को आकांक्षा थी कि पता नहीं यह विधेयक कब आ रहा है। उस तरफ से श्री शिवराज चौहान, प्रो. रासा सिंह रावत आदि ने कई बार पूछा कि विधेयक कब आयेगा। अब इस विधेयक के आने पर इन्हें स्वागत करना चाहिए लेकिन ये उसका विरोध करने के लिए खड़ा हो रहे हैं। â€¦ (व्यवधान) इससे देहातों में यह मैसेज जायेगा कि आप लोग गरीब िवरोधी हैं। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बिल पर बोलिये।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए नियम में है कि कम्पीटैंसी ऑफ â€¦ (व्यवधान) इस पर उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया है, इसलिए मुझे इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

MR. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the enhancement of livelihood security of the poor households in rural areas of the country by providing at least one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

*Not Recorded.